

कार्यालय मुख्य अग्निशमन अधिकारी एटा
पत्रांक : ५६ वि०-०२/सी०एफ०ओ० दिनांक - २३-१२-२००९
सेवा में,

सचिव
सी०एस० महाविद्यालय
हरचन्दपुर खुर्द एटा
विषय:- मा० सर्वोच्च न्यायालय में योजित जनहित याचिका सं० ४८३/२००४ अवनीश
मल्होत्रा बनाम यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया एवं अन्य में पारित मा० सर्वोच्च
न्यायालय के आदेश दि० १३.०४.२००९ के अनुपालन में प्रदेश के
स्कूलों/कालेजों की अग्नि सुरक्षा व्यवस्था किये जाने के सम्बन्ध में।
संदर्भ:- सी०एस० महाविद्यालय हरचन्दपुर खुर्द एटा के अग्निशमन सम्बन्धी प्रमाण-पत्र
प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

कृपया सचिव उत्तर प्रदेश शासन शिक्षा (७) अनुभाग का शासनादेश
सं०-१८०१/१५-७-०९-१ (१२४)/दिनांक २०.०७.२००९ के प्रारूप अग्निशमन सम्बन्धी निर्धारित
१८ बिन्दुओं पर अग्निशमन अधिकारी एटा के स्थलीय निरीक्षण आख्या दिनांक २०.१२.२००९ के
अनुसार सम्बन्धित महाविद्यालय का कुल क्षेत्रफल १५४४० वर्गमीटर है जिसमें भूतल का निर्मित
कर्वड ऐरिया ३९२३ वर्गमीटर है मे अंकित तथ्यों तथा सम्बन्धित स्कूल भवन के मानचित्रों का
अधोहस्ताक्षरी द्वारा परिशीलन किया गया। निर्धारित प्रारूप में अंकित बिन्दुओं के परस्पर
निम्नलिखित तथ्य प्रकाश में आये हैं।


१. क-पहुँच मार्ग १२ मीटर चौड़ी हरचन्दपुर - रजकोट रोड पर स्थित है जहाँ फायर सर्विस के वाहन आसानी से आ जा सकते हैं।
ख- प्रवेश मार्ग ४.५ मीटर उपलब्ध है।
२. अग्निशमन कार्य हेतु पानी की स्थाई टंकी/भूमिगत/टैरिस टैंक-वांछित नहीं है।
३. स्वचालित स्प्रिंकलर व्यवस्था - वांछित नहीं है।
४. फर्स्ट एड हौज रील - वांछित नहीं है।
५. कम्पार्टमेंटेशन - वांछित नहीं है।
६. आई०एस०आई० अग्निशामक - आईएस-२१९० के अनुसार आई०एस०आई० मार्क उपकरण स्थापित किये गये हैं।
७. स्वचालित अग्नि संसूचक व चेतावनी पद्धति - वांछित नहीं है।
८. निवास मार्ग प्रदीप्त संकेत चिन्ह: - नियमानुसार स्थापित किय गये।
९. सार्वजनिक भाषण व्यवस्था - उपलब्ध है।
१०. विद्युत आपूर्ति के वैकल्पिक स्रोत - वांछित नहीं है।
११. फायर मैन स्विच, फायर लिफ्ट - वांछित नहीं है।
१२. बेट राइजर/डाउन कमर सिस्टम - वांछित नहीं है।
१३. सैट बैंक अग्रभाग - ९ मीटर।
पार्श्व १:- ६.५ मीटर
पार्श्व १:- ४.५ मीटर
पार्श्व :- ४.५ मीटर
१५. निकास मार्ग की आवश्यकतायें एवं बचाव मार्ग - उपलब्ध है।
फायर ड्रिल कराई गयी।

16. अग्निशमन पद्धति का अनुशरण – उपलब्ध है।
17. अग्निशमन पद्धति के प्रचालन के लिए स्टाफ प्रशिक्षण – स्टाफ को प्रशिक्षण दिलाया गया।
18. निष्क्रमाण योजना एवं ड्रिल की संख्या – तैयार कराते हुऐ ठीक कराई गयी।
19. सावधि अग्नि सुरक्षा लेखा परीक्षा – नियमानुसार कराया गया।
20. निहित फीस जमा करने के पश्चात अग्निशमन का सावध नवीनीकरण-वांछित नहीं।

नोट:- सचिव द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र दिनांक 10.12.2009 के अनुसार स्कूल/कालेज विकास प्राधिकरण, नगर पालिका, टाउन एरिया, विनियमित क्षेत्र की परिधि से बाहर स्थित है। जो शासनादेश संख्या 2688/छ-पु0-08-2008 दिनांक 20.11.2008 के द्वारा पहुँच मार्ग, सैटबेक, निकास मार्ग में प्रदत्त छूट की परिधि में नहीं आता है।
अतः उपरोक्त विषयगत स्कूल का निम्नलिखित अग्निशमन व्यवस्था सम्बन्धी शर्तों के अधीन अग्निशमन सुरक्षा सम्बन्धी अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत किया जाता है।

- 1- वर्तमान में विद्यालय भवन के प्रस्तुत मानचित्र के अतिरिक्त भविष्य में निर्माण करने की दशा में इस विभाग से पुनः अग्निशमन सुरक्षा सम्बन्धी अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त करना होगा।
- 2- वर्तमान में उपलब्ध अग्निशमन व्यवस्था को सदैव कार्यशील दशा में बनाये रखना होगा।
- 3- स्कूल की ढांचागत सुरक्षा व्यवस्था की वर्तमान दशा पहु मार्ग, सैटबैक, फायर स्केप व अग्निशमन व्यवस्था में किसी प्रकार की कमी नहीं की जायेगी।
- 4- उपरोक्त प्रतिबन्धों के उल्लंघन पर निर्गत अग्निशमन सुरक्षा सम्बन्धी अनापत्ति प्रमाण-पत्र पर स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

संलग्नक- उपरोक्तानुसार।


(अजय कुमार गुप्ता)
मुख्य अग्निशमन अधिकारी
एटा

प्रोफार्मा-अ
अग्निशमन अधिकारियों द्वारा जारी किये जाने वाला
फायर एक्सटिंग्यूशरों की कार्यशीलता का वार्षिक प्रमाण-पत्र

क्रम सं० 8307

(यह अभिलेख भवन का अनापत्ति प्रमाण पत्र नहीं है। यह केवल फायर एक्सटिंग्यूशर के कार्यशील होने का प्रमाण पत्र है)

कार्यालय अग्निशमन अधिकारी जनपद.....रुद्र.....उत्तर प्रदेश

पत्र संख्या.....एच०एस० (सुरक्षा) १०२३

दिनांक.....12-01-2023

सेवा में,

स्वामी / प्रबन्धक,

सी०एस० महाविद्यालय
हरचन्द्रपुर खुर्द एटा
 जनपद.....रुद्र

विषय :- प्रतिष्ठान में स्थापित फायर एक्सटिंग्यूशरों की कार्यशीलता / रिफिलिंग / हाईड्रोलिक टेस्टिंग के प्रमाणीकरण के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ :- आपके प्रार्थना पत्र संख्या.....11/2.....दिनांक.....11-01-2023

उपरोक्त सन्दर्भित विषयक आपके प्रार्थना पत्र के क्रम में आपके संस्थान में उपलब्ध 08 अदद फायर एक्सटिंग्यूशरों की टेस्टिंग हेतु शासनादेश संख्या:-1120(1)/आठ, दिनांक 27-12-1982 में दिये गये निर्देशों के अनुरार निर्धारित शुल्क रूपये.....उत्स.....भारतीय स्टेट बैंक शाखा.....मुक्तेश्वर शाखा रुद्र जनपद.....रुद्र में चालान संख्या.....113722 दिनांक.....11-01-2023 द्वारा जमा कराया गया। प्राप्ति रसीद प्राप्त होने के उपरान्त.....08 अदद फायर एक्सटिंग्यूशरों का परीक्षण किया गया। जिसका विवरण निम्नवत् है :-

1. चेकिंग का दिनांक। 11-01-2023
2. पूर्व चेकिंग का दिनांक एवं चेकिंग अधिकारी का नाम। निरीक्षण प्रसाद कुमार फिटर
3. संस्थान का विवरण। मुक्तेश्वर शाखा रुद्र हाईड्रोलिक प्रोपिटर, सी०एस० महाविद्यालय
4. संस्थान में लगाये गये फायर एक्सटिंग्यूशरों की संख्या। 08 अदद
5. परीक्षण किये गये फायर एक्सटिंग्यूशरों की संख्या। 08 अदद
6. चेक किये गये फायर एक्सटिंग्यूशर कार्यशीलता / रिफिलिंग / हाईड्रोलिक टेस्टिंग का विवरण। 0 अदद

क्रमांक	फायर एक्सटिंग्यूशर का प्रकार	क्षमता	संख्या	कार्यशील / अकार्यशील
1-	ABC फायर एक्सटिंग्यूशर	5kg	08	कार्यशील
	—	—	—	—
	—	—	—	—

आपके संस्थान में उपलब्ध फायर एक्सटिंग्यूशरों की कार्यशीलता / रिफिलिंग / हाईड्रोलिक उपरोक्तानुसार प्रमाणित की जाती है। National Building Code and UP Building Byelaws एवं Uttar Pradesh Fire Prevention and Fire Safety Act/Rules-2005 में निर्धारित मानकों के अनुसार शेष सुरक्षा व्यवस्थाएँ वांछनीय होगी। भारतीय मानक ब्यूरो के निर्धारित मानकों के अनुसार प्रत्येक वर्ष कार्यशीलता / रिफिलिंग / हाईड्रोलिक टेस्टिंग प्रमाणित कराये जाने का उत्तरदायित्व भवन प्रबंधक / भवन स्वामी का होगा।

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. मुख्य अग्निशमन अधिकारी.....रुद्र
2. उप निदेशक परिक्षेत्रीय.....उत्स

सचिव

सी०एस० महाविद्यालय
 हरचन्द्रपुर खुर्द (एटा)